वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सा०/No. : 5-1(302)/2015-PD

Dated 21.09.2023

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय : अधिकारिक दौरे पर वंदे भारत एक्सप्रेस तथा हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता के संबंध में।

Sub : Admissibility to travel by Vande Bharat Express and Humsafar Express Trains on Official Tour– reg.

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30.08.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं० 19030/1/2017-ई.IV को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure Office Memorandum No. 19030/1/2017-E.IV dated 30.08.2023 on the above mentioned subject for your information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

21 Sep 2023

(एम. अरुण मणिकण्ड भारति / M Arun Manikanda Bharathi)
अवर सचिव (नीति प्रभाग) / Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

सं.19030/1/2017-ई.IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक 30 अगस्त, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः अधिकारिक दौरे पर वंदे भारत एक्सप्रेस तथा हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के का.ज्ञा.सं. 19030/1/2017- ई.IV का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर यात्रा के लिए यात्रा-पात्रता का विवरण निर्धारित किया गया है।

2. वंदे भारत एक्सप्रेस तथा हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता के मामले पर इस विभाग में विचार किया गया है। इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के पैरा 2ए (ii) के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन तथा दिनांक 12.09.2022 के कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट ट्रेनों के अतिरिक्त, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर यात्रा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस तथा हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस तथा हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा की पात्रता इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2ए (ii) में यथानिर्दिष्ट क्रमशः शताब्दी ट्रेनों तथा राजधानी ट्रेनों के समान होगी।

3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का प्रश्न है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अंतर्गत यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

4. इसे वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

30/8/23

(राम गोपाल)
उप सचिव (ईजी)

सेवा में,

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग आदि।

प्रतिलिपिः मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संघ लोक सेवा आयोग आदि।

No. 19030/1/2017-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
***

North Block, New Delhi
Dated 30th August, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Admissibility to travel by Vande Bharat Express and Humsafar Express Trains on Official Tour.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2017 wherein travel entitlements for journey on Tour/Training/Transfer/Retirement have been prescribed.

2. The matter regarding admissibility of travel by Vande Bharat Express and Humsafar Express Trains on official Tour has been considered in this Department. It has been decided to allow Central Govt. employees to travel by Vande Bharat Express and Humsafar Express Trains for journey on Tour/Training/Transfer/Retirement, in addition to the Trains as mentioned in para 2 A (ii) of this Department's OM of even number dated 13.07.2017 & OM dated 12.09.2022. Travel entitlement in Vande Bharat Express and Humsafar Express Trains would be same as that of Shatabdi Trains and Rajdhani Trains respectively as mentioned in para 2 A (ii) of this Department's OM of even number dated 13.07.2017.

3. In so far as the persons serving in the Indian Audit & Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller & Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

4. This is issued with the approval of Finance Secretary & Secretary (Expenditure).

Hindi version is attached.

30/8/23
(Ram Gopal)
Deputy Secretary (EG)

To,

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to : C&AG and U.P.S.C. etc. as per standard endorsement list.